(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में :—

(क) खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

(4क) "आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)" से, वैज्ञानिकों 'च' से परस्पर अन्त:क्रिया करने के लिए, प्रोन्नति हेतु एवं पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देने के प्रयोजन के लिए नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है";

(4ख) "आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)" से प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों 'च' की निष्पादन मूल्यांकन वाली रिपोर्टों का मूल्यांकन करने एवं "आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)" को अपनी सिफारिशें देने के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति, अभिप्रेत है";

(ख) उक्त नियम 8 के उपनियम (2) के पैरा (ख) में :—

(iक) मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:—

(क) वैज्ञानिक 'च' से वैज्ञानिक 'छ' में प्रोन्नति के लिए, अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट "आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)" छानबीन निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें होंगी और वैज्ञानिकों 'च' के लिए औसत अंक देगी;

(iख) "अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)" वैज्ञानिकों 'च' से परस्पर अन्त:क्रिया करेगी और अपनी सिफारिशें पीयर समिति को देगी;

(ख) मद (ii) में "आन्तरिक छंटनी समिति" शब्दों के स्थान पर "आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) पैरा (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ङ) ऐसे वैज्ञानिकों 'च' जिनकी सिफारिश आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य) द्वारा की गई है, वैज्ञानिकों 'छ' के पद में प्रोन्नति के लिए पीयर समिति द्वारा गुणागुण, उपलब्धियों, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और प्रबन्धकीय गुणों पर विचार करने के पश्चात् की जाएगी"।

(घ) अनुसूची 1ख के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:

अनुसूची 1ख

[नियम 8 (2) देखें]

वैज्ञानिक "च" के निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक), वैज्ञानिक "च" से परस्पर अन्त:क्रिया करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य) एवं वैज्ञानिक "छ" के निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति

आन्तरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)

(क) वैज्ञानिक "च"

(i)	सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात वैज्ञानिक	–अध्यक्ष
(ii)	सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक "ज" के स्तर से नीचे का न हो	–सदस्य

आन्तरिक छंटनी समिति (मुख्य)

(i)	अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र या ऐसा व्यक्ति जिनके पास सिद्ध ज्ञान, अनुभव एवं निपुणता, इनमें से किसी भी क्षेत्र में हो, अर्थात् यथास्थिति विज्ञान या गणित या मनोविज्ञान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान हो, जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना हो	–अध्यक्ष
(ii)	सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक "ज" के स्तर से नीचे के न हों	–सदस्य
(iii)	सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाह्य सदस्य (एक विषय में विशेषज्ञ एवं एक प्रबंधन विशेषज्ञ)	–सदस्य

1387 GI/12-4

वैज्ञानिक ''छ'' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छंटनी समिति

(ख) वैज्ञानिक ''छ''

(i) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात वैज्ञानिक । -अध्यक्ष

(ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वैज्ञानिक जो प्रख्यात वैज्ञानिकों के स्तर से नीचे के न हों । -सदस्य

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/मूल्यांकन बोर्ड/आर आर/सी/पी/12]

एस. के. देब, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 4, में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर 1980, का.नि.आ.196, तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई, 1983, का.नि.आ.176, तारीख 07 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228, तारीख 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 06 जून 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 04 मई 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितम्बर 1987, का.नि.आ. 11(अ), तारीख 10 अगस्त 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33, तारीख 17 जनवरी 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 05 मार्च 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157, तारीख 26 अगस्त 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 08 मार्च 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 02 फरवरी 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 नवम्बर 2003, का.नि.आ. 35, तारीख 03 फरवरी 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितम्बर 2007, का.नि.आ. 62, तारीख 29 जून 2008, का.नि.आ. 83, तारीख 05 अक्तूबर, 2008.

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd March, 2012

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as principal rules) (a) after Clause (4), the following clauses shall be inserted, namely :—

(4A) "Internal Screening Committee (Main), means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of interactions with Scientists 'F' for promotion and giving their recommendations to the Peer Committee";

(4B) "Internal Screening Committee (Preliminary), means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of evaluating the performance appraisal reports of Scientists 'F' for promotion and giving their recommendations to the Internal Screening Committee (Main)";

(b) in rule 8, in sub-rule (2) in paragraph (b),—

"(ia) after item (i) the following item shall be inserted, namely.—

(A) For promotion from Scientist 'F' to Scientist 'G', Internal Screening Committee (Preliminary) specified under Schedule 1B shall screen Performance Appraisal Reports and award average of marks for the Scientists 'F'.

(ib) The Internal Screening Committee (Main) specified under Schedule 1B shall interact with the Scientists 'F' and make recommendations to Peer Committee";

(B) In item (ii) for the words "Internal Screening Committee", the words "Internal Screening Committee (Main)" shall be substituted;

(c) For paragraph (e), the following paragraph shall be substituted, namely.—

(e) "Recommendations for promotion of Scientists 'F' who have been recommended by the Internal Screening Committee (Main) to Scientist 'G', shall be made by the Peer Committee taking into consideration the merit, achievements, personality, leadership and managerial qualities etc.";

(d) For Schedule 1B, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"Schedule 1B

[See Rule 8 (2)]

The Internal Screening Committee (Preliminary), to review Performance Appraisal Reports of Scientist 'F', Internal Screening Committee (Main) for interaction with Scientists 'F' and Internal Screening Committee to review Performance Appraisal Reports of Scientist 'G'

Internal Screening Committee (Preliminary)

(a) Scientist 'F'

(i)	Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.	—Chairperson
(ii)	Two Scientists not below the level of Scientist 'H' nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.	—Members

Internal Screening Committee (Main)

(i)	Chairman Recruitment and Assessment Centre or a person having proven knowledge, experience and expertise in any field namely Science or Mathematics or Psychology or Engineering or Technology or Metallurgy, as the case may be, to be nominated by the Central Government.	—Chairperson
(ii)	Two Scientists not below the level of Scientist 'H' nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.	—Members
(iii)	Two external members (one subject expert and one Management Specialist) nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.	—Members

Internal Screening Committee to review Performance Appraisal Reports of Scientist 'G'

(b) Scientist 'G'

(i)	Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.	- Chairperson
(ii)	Two Scientists not below the level of Distinguished Scientists nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.	—Members

[F. No. DHRD/76205/DRDS/Assessment Board/RRs/C/P/12]

S. K. DEB, Under Secy.

Note : The Defence Research and Development Service Rules were published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December 1978, and subsequently amended *vide* S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September 1987, S.R.O. 11(E), dated the 10th August 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, dated the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September 2007, S.R.O. 62, dated the 29th June, 2008 and; S.R.O. 83, dated the 05th October, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054